न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रीती मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः— 37/2026
दायर दिनांकः— 20.02.2026

उनवान

अख्तर बनाम तहसीलदार

प्रार्थी की और से :— दयाराम गुर्जर
अप्रार्थी की और से :—पैरोकार सरकार

प्रार्थना बाबत— अर्न्तगत धारा 128 राज. भू राजस्व अधि —1956

निर्णय

दिनांक 27/2/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा—128 इस आश्य का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.1878, खसरा नम्बर 3/4 रकबा 0.1878 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहजहांपुरा पटवार हल्का हरभांवता तहसील निवाई में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमाओं का निर्धारण नहीं होने के कारण आये दिन काश्तकारों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है ।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा —128 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन ना हो एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हो तो प्रार्थीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3/3 रकबा 0.1878, खसरा नम्बर 3/4 रकबा 0.1878 हैक्टेयर वाके ग्राम शाहजहांपुरा पटवार हल्का हरभांवता तहसील निवाई जिला टोंक का पटवारी/भू.अ.नि. की टीम गठित कर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसुल किया जावे। कार्यवाही के दौरान मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पुलिस उपाधीक्षक वृत निवाई को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस जाप्ता मांगे जाने पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जावे।

यह निर्णय दिनांक 27/2/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(प्रीती मीना)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई जिला टोंक